


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
गजानन्द बनाम श्री राजेन्द्र कुमार मीना  
जीसीएमएस नम्बर 2021 / 182

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

16.08.21

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.10.2004 के विरुद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 04.04.2006 द्वारा निरस्त की गई जिसकी पालना हेतु हस्तगत अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा तो अपील खारिज ही की गई। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमीज जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
(दिनेश कुमार यादव)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।  
जयपुर